महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2024

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

'मिशन शक्ति' फेज-5.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु किया गया जागरुक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0 के तहत नारी सशक्तिकरण की कार्यवाही के अनुक्रम में आज दिनांक- 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रो में महिला पुलिसकर्मी (शक्ति दीदी) द्वारा शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जाकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों, कस्बों, गांवों चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं/छात्र-छात्राओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जैसे- वुमेन पावर लाइन **1090,** महिला हेल्पलाइन **181,** मुख्यमंत्री हेल्पलाइन **1076,** पुलिस आपातकालीन सेवा **112,** चाइल्ड हेल्पलाइन **1098,** स्वास्थ्य सेवा **102** एम्बुलेंस सेवा **108** व साइबर हेल्पलाइन **1930** तथा थानों के सीयूजी नम्बर आदि के बारे जानकारी देते हुए **24** घण्टे पुलिस सहायता प्रदान किये जाने व थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा महिला अपराध आदि की जानकारी देते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा सरकार द्वारा जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना, आयुष्मान योजना आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जी गयी एवं साथ ही साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-**1930** की जानकारी देकर किया गया जागरुक।

महोबा पुलिस

सुन लो भैया सुन लो बहना, समस्या आने पर 112 फोन मिलाना-

जनपद महोबा में यूपी-112 की ओर से "एक पहल" अभियान के तहत विभिन्न सेवाओं के बारे में जागरुक करने के लिए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया।

लोगों को जागरुक किये जाने के लिए आपात सेवा यूपी 112 की ओर से एक पहल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों, छात्रों को उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं के बारे में बड़े ही रोकच अंदाज में जागरुक किया जा रहा है। जनपद महोबा में सभी थानाक्षेत्रों में भ्रमण कर स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड, टैक्सी स्टैण्ड, तहसील, बैंक, ग्रामीण इलाकों इत्यादि पर नुक्कड नाटकों का आयोजन किया गया। स्वयं सेवी संस्था की ओर से नाट्य टोलियां सार्वजनिक स्थानों पर लोकगीतों और लघु नाटकों के माध्यम से स्थानीय नागरिकों, छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं बालिकाओं को बता रही हैं कि कैसे आप लोगो की एक छोटी सी पहल समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपील की कि आप लोग सिर्फ अपनी स्वयं की मदद के लिए ही नहीं बल्कि दुसरों की मदद को आगे आएं और फोन उठा करक यूपी पुलिस की आपात सहायता हेतु डायल 112 मिलाएं। इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इस नम्बर का उपयोग केवल पुलिस सहायता के लिए ही नहीं बल्कि घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम, छेडछाड़, आग लगने, प्राकृतिक आपदा आने, दुर्घटना इत्यादि घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही के लिए तत्काल सहायता ली जा सकती है। कलाकरों ने सुन लो भैया सुन लो बहना समस्या आने पर 112 फोन मिलाना आदि रोचक गीत/नाटक आदि प्रस्तुत किए।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक-19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी, गणेश कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी मय हमराह का0 चन्दन पांचाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ एक नफर अभियुक्त सुनील राजपूत पुत्र प्रताप सिंह राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा को छेदीमऊ तिराहा वहद ग्राम गोरखा के पास से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 252/2024 धारा 3/25 **A Act** का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रामकृष्ण तिवारी
2. का0 चन्दन पांचाल थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुनील राजपूत पुत्र प्रताप सिंह राजपूत उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने जानलेवा हमला करने वाले वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त रक्तरंजित लोहे के बाट के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेला-

दिनांक- 18.10.2024 को थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम सिजहरी निवासी एक युवक द्वारा एक महिला व बच्ची के साथ आकारण, बिना किसी पूर्व रांजिश के चलते जानलेवा हमला कर मारपीट की घटना कारित की गयी थी।

इस घटना का पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 थाना श्रीनगर, शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई व0उ0नि0 कन्हैया लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सम्बन्धित अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार अहिरवार पुत्र सावंलिया अहिरवार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया एवं अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 229/24 धारा 333/109(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया साथ ही मजरुबों को बेहतर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस टीम ने अभियुक्त की निशादेही से घटनास्थल ग्राम सिजहरी से घटना में प्रयुक्त रक्त रजिंत लोहे का बाट (तोलने वाला) एक किलो **KG** का बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजू उर्फ राजकुमार अहिरवार पुत्र सावंलिया अहिरवार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त रक्त रजिंत लोहे का बाट (तोलने वाला) एक किलो **KG**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 कन्हैला लाल
2. हे0कां0 रामशंकर पटेल **3.** कां0 विकास सरोज

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर, शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, का0 हरिओम व का0 विकास सरोज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर सिजवाहा ढिकवाहा पर बने प्रतिक्षालय के पास वहद ग्राम ढिकवाहा से अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त नीरज राजपूत पुत्र आशाराम राजपूत निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 230/2024 धारा 3/25 ए एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया व गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

नीरज राजपूत पुत्र आशाराम राजपूत निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

बरामदगी- 01 अदद तमंचा देशी व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह
2. कां0 हरिओम
3. कां0 विकास सरोज

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना पनवाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया, थानाक्षेत्र में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, अभिलेखों का अवलोकन कर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल थाना पनवाड़ी का औचक निरीक्षण किया गया है।

इस औचक निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के अभिलेखों, बैरिक, मैस, मालखाना, हवालात, महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, कंप्यूटर कक्ष इत्यादि का निरीक्षण, थाना परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई का निरीक्षण, लम्बित मामलों का निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कार्यालय का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण रजि. यथा- त्यौहार, अपराध, भूमि विवाद, बीट सूचना अंकन रजिस्टर, सजायवी रजिस्टर तथा फ्लाईशीट का गहनता से अवलोकन कर सम्बन्धित थाना प्रभारी को महिला अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरते जाने व त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं साथ ही अभिलेखों के उचित रख-रखाव के साथ अद्यावधिक किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी सहित थानाहाजा में नियुक्त पुलिस कर्मियों से वार्ता कर उनके कार्यों की समीक्षा की गई है, जिसके क्रम में सभी को थानाक्षेत्र में सुदृढ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहें, प्रत्येक छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखते हुए सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी मनीष कुमार पाण्डेय, पीआरओ अरविन्द सिंह गौर सहित थाना स्थानीय पर नियुक्त समस्त अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.10.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए 03 नफर अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार, 45 लीटर अवैध शराब की बरामदगी कर मौके से बरामद 03 क्विंटल मिश्रित लहन को किया नष्ट-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 19.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गई पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम खोई के कबूतरा डेरा में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी, इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब व मिश्रित लहन के साथ 03 नफर अभियुक्ता क्रमशः 1.रीना कबूतरा पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 40 वर्ष 2.रागिनी पत्नी सुसैन उम्र करीब 21 वर्ष 3.माया पत्नी रोहित कबूतरा उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया जिनके कब्जे से तीन प्लास्टिक के पिपियो में कुल 45 लीटर कच्ची देशी शराब नाजायज बरामद हुई इसके अतिरिक्त मौके पर ही बरामद लगभग 03 क्विंटल मिश्रित लहन को नष्ट किया गया। इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अजनर में क्रमशः मु.अ.सं. 238, 239, 240/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

बरामदगी-

गिरफ्तार 03 अभियुक्ताओं के कब्जे से क्रमशः 15, 15, 15 लीटर (कुल 45 लीटर) कच्ची अवैध देशी शराब नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 मलखान सिंह **2.** उ0नि0 हरीशंकर यादव
3. म0उ0नि0 दीक्षा थाना अजनर जनपद महोबा।
4. का0 धीरज कनौजिया **5.** का0 धर्मेन्द्र कुमार
6. म0का0 प्रियंका **7.** म0का0 आरती यादव थाना अजनर जनपद महोबा।

अभियुक्त विवरण-

1. रीना कबूतरा पत्नी गोपाल कबूतरा उम्र 40 वर्ष
2. रागिनी पत्नी सुसैन उम्र करीब 21 वर्ष
3. माया पत्नी रोहित कबूतरा उम्र करीब 30 वर्ष

निवासिनी गण कबूतरा डेरा खोई थाना अजनर जनपद महोबा

अवैध शराब बनाने एवं बेचने से रोकने के अभियान के क्रम में आज दिनांक 19/10/2024 को थाना अजनर पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम खोही के कबूतरा डेरा में दबिश दिया गया जिसमें लगभग 300 **kg** लहन नष्ट किया गया व लगभग 45 लीटर कच्ची शराब बरामद कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।